

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में निष्प्रयोज्य उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य कागजी रद्दी की नीलामी
हेतु निविदा/विज्ञप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में निष्प्रयोज्य घोषित उत्तरपुस्तिकाओं एवं अन्य कागजी रद्दी की नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक एवं पात्र संस्था/फर्म से बाली आंमत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता सुनिश्चित कर ले कि वह घोषित शर्तों/प्रतिवधों को पूर्ण करते हों। उक्त नीलामी की निविदा एवं आवेदन प्रपत्र, विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट www.uou.ac.in पर अपलोड की गयी है। इच्छुक फर्म, निविदा के प्रपत्रों को वेबसाईट से डाउनलोड कर आवेदन की अंतिम तिथि 14. 10.2025 (समय सांय 05:00 बजे) तक वांछित अभिलेखों सहित निविदा/बोली, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत एवं अन्य किसी भी माध्यम से बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष—विश्वविद्यालय नीलामी समिति

प्रतिलिपि—निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तक अधिकारी, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
3. नोडल अधिकारी, प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी को इस आशय से कि उक्त निविदा/विज्ञप्ति के प्रचार-प्रसार प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष—विश्वविद्यालय नीलामी समिति

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी(नैनीताल)

कार्यालय पता-नियर ट्रांसपोर्ट नगर, तीन पानी रोड, हल्द्वानी

पत्रांक:- 613 /नीलामी प्रक्रिया/2025-26

दिनांक 29 सितम्बर, 2025

विश्वविद्यालय की निष्प्रयोज्य उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य कागजी रद्दी की नीलामी हेतु निविदा

निविदा वेबसाईट पर प्रकाशन की तिथि	- 30.09.2025 (समय प्रातः 10:00 बजे से)
निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर अपलोड की तिथि	- 30.09.2025 (समय प्रातः 10:00 बजे से)
निविदा में आवेदन करने की आंशिक तिथि	- 30.09.2025 (समय प्रातः 10:00 बजे से)
निविदा में प्रतिभाग करने की अंतिम तिथि	- 14.10.2025 (समय सायं 05.00 बजे तक)
निविदा प्रपत्र का मूल्य (गैर वापिसी योग्य)	- रुपये 500.00 मात्र (जी0एस0टी0 18 प्रतिशत अतिरिक्त)
धरोहर राशि (आंगणित मूल्य का 25 प्रतिशत)	- रुपये 32000.00 मात्र
निविदा को खोलने की तिथि	- 15.10.2025 (समय प्रातः 11:00 बजे)

एतद्वारा विश्वविद्यालय में निष्प्रयोज्य घोषित उत्तरपुस्तिकाओं एवं अन्य कागजी रद्दी की नीलामी हेतु इच्छुक एवं पात्र संस्था/फर्म से निविदा में उपबंधित की गयी शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवेदन के लिए निविदा आंमत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता सुनिश्चित कर ले कि वह घोषित शर्तों/प्रतिबंधों को पूर्ण करते हों। उक्त नीलामी की निविदा एवं आवेदन प्रपत्र, विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट www.uou.ac.in पर अपलोड की गयी है। इच्छुक फर्म, निविदा के प्रपत्रों को वेबसाईट से डाउनलोड कर आवेदन की अंतिम तिथि तक वांछित अभिलेखों सहित निविदा, कुलसंचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(सूय ग्रताम सिंह)
अध्यक्ष-विश्वविद्यालय नीलामी समिति

निविदा की अनिवार्य शर्तें/प्रतिबंध एवं नियम

01. विश्वविद्यालय में निष्प्रयोज्य उत्तरपुस्तिकाओं एवं अन्य कागजी रद्दी की नीलामी हेतु इच्छुक एवं पात्र संस्था/फर्म से निविदा/बोली, सीलबन्द (मुहर सहित) लिफाफे में वांछित दस्तावेजों सहित कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के कार्यालय में दिनांक 14.10.2025 को सायं: 05.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।
02. निविदा टू-बिड (दो बोली) सिस्टम में आमंत्रित की गयी है, जिसमें पहला लिफाफा, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप में तकनीकी बोली (प्रपत्र संख्या-1 भरकर रखा गया हो) अंकित हो तथा दूसरा लिफाफा, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप में वित्तीय बोली (प्रपत्र संख्या-2 भरकर रखा गया हो) अंकित हो। उक्त दोनों लिफाफों को सीलबंद करते हुए पुनः एक बड़े लिफाफे में रख कर, उस बड़े लिफाफे के ऊपर 'विश्वविद्यालय की निष्प्रयोज्य उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य कागजी रद्दी की नीलामी हेतु निविदा' अंकित कर प्रस्तावक द्वारा अपना नाम, फर्म का नाम व पता दर्शाते हुए निर्धारित समय तक पंजीकृत डाक या पत्रवाहक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अन्य किसी भी माध्यम से बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त समस्त बोलियां नीलामी/निविदा पेटी में रखी जायेंगी। प्रस्तावक सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा नामांकित लिफाफों के अनुरूप ही संगत प्रपत्रों को भरकर तदसम्बन्धी लिफाफे में ही रखा गया है। ऐसा न होने की स्थिति सम्बन्धित प्रस्तावक की बोली को शून्य मानते हुए निरस्त कर दी जायेगी।
03. निविदा के माध्यम से इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु गैर वापिसी योग्य निविदा शुल्क एवं आंगणित मूल्य का 25 प्रतिशत धरोहर राशि, जो कि अनिवार्य रूप में जमा किया जाना है, को वित्त नियंत्रक-उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट/चेक/ऑनलाईन बैंकिंग या नकद रूप, जैसा भी हो, किसी एक माध्यम से जमा किया जा सकता है।
04. किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त नीलामी में बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसके पास ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित प्राधिकार न हो जो नीलामी में उपस्थित हो तथा उसकी ओर से लगायी गयी बोली को अधिकृत करता हो।
05. निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त बोलियों को दिनांक 15.10.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय के सभागार में नीलामी समिति (निविदादाता या उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि सहित, यदि कोई उपस्थित हो) के

सम्मुख खोली जायेगी। उक्त तिथि पर किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा न खोले जाने की दशा में अगली कार्य दिवस पर निविदा खोली जायेगी।

06. निविदा में दर्शित निष्प्रयोज्य कागजी रद्दी का भार/वजन 'जहां है और जैसा है', की स्थिति में 5000 किलोग्राम अनुमानित है, जिसमें उतार-चढ़ाव होने की संभावना है। अतः प्रस्तावक के लिए सलाह है कि वह बोली प्रस्तुत करने हेतु अपनी सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्यालय दिवस में आकर निष्प्रयोज्य सामग्री का अवलोकन कर तदनुरूप निविदा दे सकता है।
07. निविदा का मूल्यांकन दो चरणों में किया जायेगा। पहले चरण में प्राप्त सभी प्रस्तावकों की 'तकनीकी बोली' अंकित लिफाफों को खोला जायेगा, जिसमें रखे तकनीकी मानकों के प्रपत्र व संलग्न वांछित दस्तावेजों के आधार पर उपरोक्त अंकित प्रस्तर-2 का संज्ञान रखते हुए मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी मूल्यांकन में अर्ह बोलियों/निविदादाताओं की अन्य दूसरी 'वित्तीय बोली' नामांकित लिफाफे का मूल्यांकन किया जायेगा। अर्थात् वित्तीय बोली केवल उन्हीं निविदादाताओं की खोली जायेगीं, जिनकी तकनीकी बोली को निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप अर्ह मानते हुए स्वीकार किया गया हो, शेष बोलियां नहीं खोली जायेगीं। वित्तीय बोली में फर्म द्वारा दर का उद्धरण बिना जी०एस०टी० के करना होगा, जिसमें जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के कर समाहित होंगे।
08. तकनीकी रूप से अर्ह निविदादाताओं की प्रस्तुत वित्तीय बोलियों में तुलनात्मक विश्लेषण/मूल्यांकन के बाद प्रस्तुत/उदृत दरों का वर्गीकरण सर्वोच्च दर से निम्नतम दर की ओर किया जायेगा, जिन्हें क्रमशः एच-1, एच-2, एच-3 आदि, जैसा भी हो, नामांकित कर लिया जायेगा। नीलामी अवार्ड उस निविदाकर्ता को दी जायेगी, जिसने सर्वोच्च दर (एच-1) निविदा में उदृत की हो।
09. एच-1 सफल निविदादाता को नीलामी की शेष राशि, विश्वविद्यालय से विक्रय पत्र की सूचना प्राप्ति की तिथि से 07 दिवसों के भीतर शतप्रतिशत राशि जमा करनी अनिवार्य है। नीलामी राशि जमा होने पर ही अगले अग्रिम 07 दिवसों का समय सफल निविदादाता को नीलामी सामग्री के उठान हेतु दिया जायेगा। ऐसा न करने की स्थिति में सफल निविदादाता से अवार्ड की गयी नीलामी वापिस लेते हुए अग्रिम या पूर्ण राशि, जैसा भी हो, जब्त कर ली जायेगी एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 व अन्य प्रासंगिक नियमों/शासनादेशों के अनुरूप संगत कार्यवाही की जायेगी। तदुपरांत एच-1 की जब्त की गयी राशि एवं अगले एच-2 बोलीदाता द्वारा दी गयी बोली का योग, एच-1

बोलीदाता के बोली के समतुल्य अथवा अधिक होने की स्थिति में नीलामी एच-2 बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृत की जा सकती है, अन्यथा पुनः नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

10. सफल निविदादाता की दरें केवल उक्त नीलामी प्रक्रिया के लिए मान्य होंगी।
11. नीलामी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय को यदि ज्ञात होता है अथवा राय है कि बोलीदाताओं द्वारा समूहन किया जा रहा है तथा नीलामी सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो प्रक्रिया को अविलंब रोका जा सकेगा।
12. विश्वविद्यालय उस निविदादाता के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जो निर्धारित अग्रिम भुगतान अथवा नीलामी सामग्री के लिए अवार्ड होने के बाद नीलामी प्रक्रिया के शर्तों/प्रतिबंधों के अनुरूप नीलामी प्रक्रिया पूर्ण न करता हो।
13. निविदादाता/फर्म के पास जी०एस०टी० पंजीकरण, पैन कार्ड एवं अन्य ऐसे दस्तावेज होने अनिवार्य हैं, जो किसी संगत सामग्री के विनष्टीकरण या परिदान के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा शासित नियमों को पूरा करता हो। इस हेतु तकनीकी प्रारूप के अनुरूप वांछित सूचनायें व दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
14. निविदाकर्ता फर्म को अपनी बोली में उस कम्पनी अथवा फैक्ट्री का सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे प्रश्नगत सामग्री परिदान करने लिए विक्रय की जायेगी।
15. विश्वविद्यालय से समस्त सामग्री उठाने के उपरांत प्रदत PULPING का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. किसी भी प्रकार की कर अदायगी या क्षतिपूर्ति सफल बोलीदाता/क्रेता द्वारा की जायेगी।
17. निविदादाता को किसी भी विश्वविद्यालय अथवा सरकारी संस्थान में उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य संगत कागजी रद्दी सामग्री को परिदान करने न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
18. ऐसें निविदादाता/फर्म, उक्त नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नीलामी विषयक प्रक्रियाओं के लिए प्रतिबंधित किया हो अथवा जिन्हें किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया हो। इस हेतु सम्बन्धित बोलीदाता को अपने रूपये 100.00 मात्र के स्टाम्प पत्र पर अभिवचन प्रस्तुत करना होगा। इसका तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। अभिवचन में यह भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा निविदा में प्रस्तुत की गयी सूचनायें सत्य व त्रुटिहीन हैं, वह उक्त सामग्री का विक्रय खुले बाजार में नहीं करेगा तथा सामग्री को ऐसे कारखाने अथवा मिल में भेजेगा, जहाँ पर उक्त सामग्री का नियमानुसार रि-साईकल या परिदान होता हो।

19. निष्प्रयोज्य सामग्रियों की न्यूनतम आरक्षित दर रूपये 25.60 प्रति किलोग्राम है, जिसे उक्त नीलामी प्रक्रिया में किसी भी दशा में कम नहीं किया जायेगा। समस्त प्रतिभागियों को निविदा की दरें, न्यूनतम आरक्षित दर से अधिक ही उदृत करनी होंगी, जी0एस0टी0 का भुगतान बोलीदाता द्वारा वास्तविक मूल्य पर नियमानुसार देय करना होगा। अन्यथा बोली को शून्य मानते हुए निरस्त कर दिया जायेगा।
20. उपरोक्त किसी भी कारण या कारणों से विश्वविद्यालय किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने अथवा नीलामी सामग्री को अंतिम समय पर विक्रय न करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखेगा।
21. नीलामी प्रक्रिया में विवाद होने की स्थिति में भारतीय प्रांसंगिक कानूनों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
22. प्रकरण पर किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र हल्द्वानी होगा।



(सूर्य प्रताप सिंह)
अध्यक्ष—विश्वविद्यालय नीलामी समिति

तकनीकी बोली

विश्वविद्यालय की निष्प्रयोज्य उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य कागजी रद्दी सामग्रियों की नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु
निर्धारित मानक

निविदाकर्ता/फर्म/क्रेता का नाम.....

निविदाकर्ता/फर्म/क्रेता का पूर्ण पता

(पते की पुष्टि हेतु संगत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

मोबाइल नं.....

फर्म के निविदा शुल्क जमा करने का विवरण.....

फर्म के धरोहर राशि (₹०एम०डी०) जमा करने का विवरण.....

फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र.....(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

फर्म का जी०एस०टी० नं.....(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

निविदाकर्ता/फर्म का पेन कार्ड नं.(पेन कार्ड की प्रति संलग्न करें)

फर्म का 03 वर्षों अनुभव प्रमाण पत्र....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

कम्पनी/फैक्ट्री का सहमति प्रमाण पत्र.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(सम्बन्धित सामग्री को क्रय किये जाने की सहमति पत्र)

निविदा के प्रस्तर-18 के अनुरूप रूपये 100.00 मात्र के स्टाम्प पत्र पर अभिवचन.....

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

फर्म स्वामी का नाम.....

हस्ताक्षर

मोहर

दिनांक

वित्तीय बोली

निम्नवत तालिकानुसार दरें प्रस्तुत करें-

(रूपये में)

क्र० सं०	निष्प्रयोज्य सामग्री का नाम	अनुमानित वजन/भार	सामग्री की आरक्षित दर प्रति किलोग्राम	आरक्षित दर के प्रति निविदाकर्ता की उदृत दरें (दर प्रति किलोग्राम), जी०एस०टी० अतिरिक्त	
				अंको में	शब्दों में
01	02	03	04	05	06
1	उत्तरपुस्तिकार्ये व अन्य कागजी रद्दी	5000 किलोग्राम	रूपये 25.60 प्रति किलोग्राम		

नोट:-उक्त दर, बिना जी०एस०टी० के उदृत करें। निविदाकर्ता/फर्म द्वारा आरक्षित दर/दरों के प्रति अंको व शब्दों में उदृत दरों में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर निविदाकर्ता की शब्दों में अंकित दरें ही मान्य होंगी।